प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स ....54/23....दिनांक ....2/3/2023....

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धारा 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ....29.... समय ....6:00 P.M....
(2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 01.03.2023 समय 02:59 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 01.03.2023 समय करीब 08:52 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **360** किलोमीटर
(2) पता – क्वार्टर संख्या 04 पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

परिवादी

(1) नाम : – श्री श्यामलाल खटीक
(2) पिता का नाम : – श्री बालुराम जी
(3) आयु : – 29 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि..........जारी होने की जगह................
(6) व्यवसाय : – पढाई
(7) पता : – **ग्राम उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ**

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्री राहुल मीणा पुत्र श्री श्रवण कुमार उम्र 36 निवासी मकान नंबर 224, विजन कॉलेज के पीछे, सेंती जिला चित्तौडगढ़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चाकुडा अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत उमण्ड पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ़

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	10,000 रूपये	

आरोपी श्री राहुल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चाकुडा अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत उमण्ड पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ़ द्वारा परिवादी श्री श्यामलाल खटीक के पुश्तेनी बापी पट्टा बनाने की एवज में परिवादी से दिनांक 01.03.2023 को 10,000 रूपये रिश्वत की मांग कर दिनांक 01.03.2023 को ही अपनी मांग के अनुसार रिश्वत राशि 10,000 रूपये अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण कर क्वार्टर के बेडरूम में रखे बिस्तर के निचे रखना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 10,000

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 01.03.2023 जरिये ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 पर परिवादी द्वारा शिकायत की जिस पर अग्रीम कार्यवाही हेतु श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को समय करीब 08:52 एएम पर कॉल कर परिवादी श्री श्यामलाल के मोबाईल नंबर 9829103352 प्रदान करते हुए परिवादी श्री श्यामलाल से संपर्क कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री श्यामलाल के मोबाईल नंबर 9829103352 पर समय करीब 09:06 एएम पर कॉल किया तो परिवादी श्री श्यामलाल ने बताया कि मैं ग्रम उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ का रहने वाला हूँ. मेरे बापी पट्टा बनानें के बदले मुझसें ग्राम विकास अधिकारी श्री राहुल मीणा 10000 रूपयें की मांग कर रहे है तथा रिश्वत राशि आज ही लाने का कह रहे है अन्यथा वो अपना चार्ज दुसरें को सौंप कर चले जायेंगे। इसलिए मैं उदयपुर आने में असमर्थ हुं। जिस पर परिवादी को मामलें में गोपनीयता बरतनें हेतु हिदायत दी गई तथा श्री भारतसिंह कानि. का मोबाईल नंबर 9079102277 परिवादी को देते हुए बताया कि श्री भारतसिंह कपासन आकर उससे संपर्क करेंगा। तत्पश्चात समय करीब 9:20 एएम पर श्री भारतसिंह को कॉल कर परिवादी श्री श्यामलाल के मोबाईल नंबर 9829103352 दिये तथा तुरंत कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय की आलमारी से सोनी कंपनी का डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर कपासन जिला चित्तौडगढ पहुचें परिवादी से संपर्क कर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मांग सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात समय 10:30 एएम पर श्री राजेश कुमार कानि को कार्यालय उप वन संरक्षक उदयपुर से दो सरकारी स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु पत्र के साथ कार्यालय उप वन संरक्षक उदयपुर रवाना किया गया। समय करीब 11:00 एएम पर श्री राजेश कुमार कानि0 अपने साथ दो स्वतंत्र गवाहान को लेकर उपस्थित हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाहान को अपना परिचय दे उनका परिचय पुछा तो एक ने अपना नाम श्री रामलाल बरण्डा पुत्र श्री हलिया जी उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम माण्डवा खापरडा, हनुमान जी मंदिर के पास, तहसील एवं जिला डूँगरपुर हाल वरिष्ठ सहायक उपवन संरक्षक उदयपुर मोबाईल नंबर 9461453779 एवं दुसरे ने अपना नाम श्री योगेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 27 वर्ष निवासी 67, अम्बेडकर नगर पाली शहर जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक उपवन संरक्षक उदयपुर मोबाईल नंबर 7229995991 बताया। समय करीब 11:25 एएम पर श्री भारतसिंह कानि0 के मोबाईल नंबर 9079102277 पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल नंबर 9414316149 से कॉल किया तो श्री भारतसिंह ने मुझे बताया कि आपके निर्देशानुसार कार्यालय पहुँच कार्यालय की आलमारी से सोनी कंपनी का डिजिटल वॉईस रिकार्डर बरंग काला जिसमें सेनडिस्क अल्ट्रा 32 जीबी मेमोरी कार्ड बरंग लाल/ग्रे लगा हुआ हो लेकर समय करीब 11:18 एएम पर कपासन पहुँच परिवादी से संपर्क किया जो मुझे आरएनटी कॉलेज के पास चामुण्डा माता मंदिर कपासन पर मिला जिसने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों एसयू उदयपुर के नाम पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया है कि मैं श्यामलाल पुत्र श्री बालुराम जी उम्र 29 वर्ष ग्राम उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ का रहने वाला हुं। मैनें ग्राम पंचायत उमण्ड में बापी पट्टा लेने के लिए आवेदन किया तो ग्राम विकास अधिकारी श्री राहुल मीणा द्वारा पट्टा जारी करनें के बदले मुझसे 10000 रूपयें की रिश्वत राशि की मांग की है। मैं श्री राहुल मीणा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मैं उन्हें रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मेरी राहुल जी से उधार रूपयों का कोई लेनदेन बाकी नहीं है और न हीं कोई दुश्मनी है। अतः कार्यवाही कराये। श्री भारतसिंह द्वारा पढकर सुनाये उक्त प्रार्थना पत्र को मूल ही उसके पास सुरक्षित रखनें तथा मन् पुलिस निरीक्षक के कपासन उपस्थित होने पर प्रस्तुत करनें की हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री भारतसिंह को ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत राशि की मांग वार्ता रिकार्ड कर लेने हेतु निर्देशित किया।

समय करीब 11:45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री रामलाल, श्री योगेश कुमार, ब्यूरों टीम श्री नन्दकिशोर एलसी, कानि. श्री प्रदीप भण्डारी मय ट्रेप बॉक्स एवं श्री दिनेश कुमार कानि. मय लेपटोप प्रिन्टर एवं फिनोफ्थेलीन पाउडर के प्राईवेट टेक्सी वाहन से कपासन के लिए वास्ते अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। कुछ इसके कुछ समय बाद

बीच राह में समय करीब 12:16 पीएम पर श्री भारतसिंह कानि0 ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि समय करीब 11:33 एएम पर परिवादी के मोबाईल से ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल पर वार्ता कराकर मोबाईल का लाउडस्पीकर ऑन कर वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड किया तो ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादी को पंचायत समिति कपासन के बाहर आने हेतु कहा। जिस पर परिवादी और मैं वहां से रवाना होकर समय करीब 11:37 एएम पर पंचायत समिति कपासन से थोडी दूरी पहले पहूँचकर साईड मे रूके तथा टेप रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द करते हुए मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु रवाना किया जो समय करीब 12:00 पीएम पर मेरे पास आया तथा मुझे टेप रिकार्डर सुपुर्द किया जिसे मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मुझसे ग्राम विकास अधिकारी श्री राहुल मीणा द्वारा पट्टा बनानें के बदले 10000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की है जो मैंनें डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। श्री भारतसिंह ने परिवादी श्री श्यामलाल से मेरी वार्ता करवाई तो परिवादी ने भारतसिंह कानि0 को बताये गये तथ्यों की शब्द-ब-शब्द पुनरावृति की। परिवादी को आरोपी श्री राहुल की मांग अनुरूप 10000 रूपयें रिश्वत राशि की व्यवस्था करने हेतु कहा तो परिवादी ने कहा कि वह मेरे कपासन पहूँचनें से पूर्व 10000 रूपयें की व्यवस्था कर देगा। तत्पश्चात श्री भारतसिंह को कहा कि वॉइस रिकार्डर सुरक्षित रखे तथा मन् पुलिस निरीक्षक के कपासन पहुँचने पर मुझे सुपुर्द करें। इसके पश्चात् समय करीब 01:20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहिन के आरएनटी कॉलेज के पास चामुण्डा माता मंदिर पहुँचनें पर परिवादी श्री श्यामलाल एवं श्री भारतसिंह कानि0 उपस्थित मिलें। मंदिर परिसर में बने बरामदे में आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। श्री भारतसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वॉइस रिकार्डर प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पूर्व में मोबाईल पर श्री भारतसिंह द्वारा पढकर सुनाई रिपोर्ट शब्द-ब-शब्द हुबहू पाई गई। तत्पश्चात डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी श्री श्यामलाल से ग्राम विकास अधिकारी श्री राहुल मीणा द्वारा 10000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना सत्यापित पाया गया। जिस मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त समस्त हालात जरिये मोबाईल फोन अति0पु0अ0 को निवेदन किये जिस पर उन्होने अग्रीम कार्यवाही हेतु निर्देश दिये। परिवादी श्री श्यामलाल ने बताया कि मेरी ग्राम विकास अधिकारी श्री राहुल मीणा से वार्ता हुई है जिसे मैने रिकार्डर में रिकार्ड किया है। मैं श्री राहुल मीणा के ग्राम विकास अधिकारी उमण्ड के पद पर कार्य करनें के तथ्य से भंली-भाति परिचित हुँ। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहों को परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही में बतौर सरकारी स्वतंत्र गवाह सम्मिलित रहने हेतु सहमति चाही तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान करनें पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य स्वयं की हस्तलिपि में होकर शब्द-ब-शब्द पुष्टि कर सत्य होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर गवाहों के हस्ताक्षर करवायें गये। तत्पश्चात परिवादी एवं संदिग्ध लोक सेवक ग्राम विकास अधिकारी से हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया था। उक्त वॉइस रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश को चलाकर गवाहों को सुनाया गया तो गवाहों द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होना बताया। परिवादी ने बताया कि राहुल जी ने मुझे शाम तक पंचायत समिति कपासन में ही रिश्वत राशि लेकर आने हेतु बताया था।

तत्पश्चात् समय 01:30 करीब पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहों तथा परिवादी के समक्ष मेरे निर्देशन में श्री दिनेश कुमार से डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर एवं सुनकर श्री दिनेश से फर्द ट्रांसिकिप्ट मांग सत्यापन वार्ता टंकण करना प्रारंभ किया गया। परिवादी ने बताया कि उक्त वार्ता में एक आवाज मेरी एवं अन्य आवाज श्री राहुल मीणा ग्राम विकास अधिकारी की है। जिनकी आवाज को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके बाद समय करीब 02:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहों तथा परिवादी के समक्ष मेरे निर्देशन में फर्द ट्रांसकिप्ट वार्ता टंकण पूर्ण की गई। उक्त वार्ता की एक मूल, एक डब एवं एक आईओ सीडी तैयार कर मूल सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीडी को कपडें की थेली में सीलबंद किया जाकर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करा मार्क-ए अंकित किया गया। फर्द ट्रांसकिप्ट मांग सत्यापन वार्ता पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके

बाद उपरोक्त गवाह के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री श्यामलाल से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 BR 876571
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 TD 229424
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 EN 704913
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 EN 704914
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 EN 704915
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 EN 704916
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 EN 704917
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 EF 452262
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733301
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733302
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733303
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733304
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733305
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733306
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733307
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733308
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733309
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733310
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733311
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733312

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री दिनेश कुमार कानि0 के पास रखवाई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को मंगवाकर नोटो के दोनों ओर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री रामलाल से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दांयी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री दिनेश कुमार कानि0 से रखवाये गये। तत्पश्चात श्री भारत सिंह कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री निदेश कुमार की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को कानि0 श्री भारत सिंह से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलासो को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी ग्राम विकास अधिकारी श्री राहुल को उनकी मांग अनुसार 10000 रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ,

गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री भारत सिंह कानि. से दुबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे एवं उक्त ईशारें के बारें में ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात श्री श्यामलाल को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सहित रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर पेंट कीं आगे की बांयी जेब मे रखवाया जाकर सुपुर्द किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये जाकर कार्यवाही समय करीब 02:55 पीएम पर समाप्त की गई।

तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानि को मय फिनोफ्थेलीन पाउडर शिशी के चामुण्डा माता मंदिर के बाहर बरामदे में मुकिम रहने हेतु निर्देशित कर समय करीब 02:56 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री रामलाल, श्री योगेश कुमार, ब्यूरों टीम श्री नन्दकिशोर एलसी मय प्रिन्टर लेपटॉप तथा श्री प्रदीप कुमार कानि0 मय ट्रेप बॉक्स एवं अन्य आवश्यक संसाधन के जरिये प्राईवेट टेक्सी तथा परिवादी को मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर परिवादी के वाहन में श्री भारतसिंह को साथ रवाना करते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु चामुण्डा माता मंदिर कपासन से पंचायत समिति कपासन के लिए रवाना होकर समय करीब 02:59 पीएम पर पंचायत समिति कपासन से कुछ दुरी पूर्व एक तरफ दोनो वाहनों को साईड में रोका तथा परिवादी के मोबाईल नंबर 9829103352 से ग्राम विकास अधिकारी श्री राहुल के मोबाईल नंबर 9664302134 पर कॉल कर लाउडस्पीकर मोड ऑन कर डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करते हुए वार्ता करवाई तो आरोपी श्री राहुल मीणा द्वारा परिवादी को पंचायत समिति परिसर में बने क्वाटर में आने हेतु कहा। जिस पर परिवादी को डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालु कर आरोपी के कहे अनुसार उसके बताये क्वाटर में रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन पंचायत समिति के आस-पास छुपाव हासिल कर परिवादी के निर्धारित ईशारें में खडे रहे थे कि समय करीब 3:10 पीएम पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को देखकर उसके सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने गवाहों एवं ब्यूरों टीम को मेरा अनुसरण करनें का ईशारा कर तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुँचा। परिवादी से मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया तथा अपने पास सुरिक्षत रखा। पश्चात परिवादी ने बताया कि सामने क्वाटर संख्या 04 में श्री राहुल मीणा है जिसनें मुझसे 10000 रूपयें अपने दोनों हाथों से ग्रहण किये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान परिवादी को साथ लेकर पंचायत समिति परिसर में बने क्वाटर संख्या 04 के मुख्य द्वार पर पहुँचा तथा मुख्य द्वार पर आवाज लगाई तो एक पुरूष ने द्वार को खोला। मुख्य द्वार से मन् पुलिस निरीक्षक एवं हमराहीन ने प्रवेश कर उक्त व्यक्ति को स्वयं एवं हमराहीन का परिचय देकर अपने आने के मंतव्य से अवगत कराया तथा उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पुछा। जिस पर उक्त व्यक्ति ने स्वयं का नाम श्री राहुल मीणा पुत्र श्री श्रवण कुमार उम्र 36 निवासी मकान नंबर 224, विजन कॉलेज के पीछे, सेंती जिला चित्तौडगढ़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चाकुडा अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत उमण्ड पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ़ होना बताया। जिस पर परिवादी ने श्री श्यामलाल ने आरोपी राहुल मीणा की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही उमण्ड ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी श्री राहुल जी है जिन्होंने थोडी देर पहले मेरे बापी पट्टा बनाने की एवज में मुझसें रिश्वत राशि अपने दोनों हाथों से गिनकर ग्रहण किये है। जिस पर श्री राहुल मीणा से रिश्वत राशि किस बात के लिए ग्रहण की गई है पुछने पर हाथ जोडकर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि साहब एक बार छोड दो आयन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस पर

आरोपी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि कहां रखी है पुछने पर आरोपी गर्दन झुकाकर खडा हो गया। जिस पर परिवादी ने बताया कि मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण करनें के बाद पास के कमरे में गये थे। जिस पर परिवादी की स्वतंत्र गवाह श्री रामलाल से तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पास रिश्वत राशि नहीं मिली जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुनः पुछने पर आरोपी पास के कक्ष बेडरूम में लेकर गया तथा बिस्तर के नीचे रखना बताया। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री रामलाल से बिस्तर उंचा करवाया गया तो उसके नीचे 500-500 रूपयें के कुछ नोट मिले जिन्हें उसी अवस्था में रखा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल से नोटों की अवस्थिति एवं कमरे का फोटो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि के प्रमाणन हेतु श्री प्रदीप कुमार कानि0 से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास स्वतंत्र गवाह श्री रामलाल से निकलवाये जाकर उसमें आरोपी के उक्त क्वाटर में रखें पीने के पानी के केम्पर से पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में गवाह श्री योगेश से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री राहुल के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच. -2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अगूंठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमेला झाईदार हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच. -2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात गवाह श्री रामलाल से उक्त नोट बरामद कराये जाकर उन्हे गिनवाया गया तो 500-500 रूपयें कुल 20 नोट होकर 10000 रूपये होना पाये गये जिसे गवाह श्री रामलाल के पास सुरक्षित रहने दिये। बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखे नोटो के स्थान का प्रकियानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से गवाह श्री योगेश से एक कांच के गिलास को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाया जाकर उसमें आरोपी श्री राहुल के क्वाटर में रखे पीने के पानी के केम्पर से पानी भरवाया जाकर गवाह श्री योगेश से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाया जाकर चम्मच से हिलाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त पानी के घोल में एक कपडें की चिन्दी को भिगोया गया तब भी घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। भीगे हुए कपडे की चिन्दी को बिस्तर के नीचे घुमाया जाकर पानी के गिलास में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क बी-1 व बी -2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बिस्तर के नीचे प्राप्त बरामद रिश्वती राशी जिसे गवाह श्री रामलाल के पास सुरक्षित रखवाया गया था। उक्त नोटो को मिलान स्वतंत्र गवाहान श्री रामलाल से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी नोट से करवाया गया तो हुबहू निम्नानुसार होना पाये गये।

क.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 BR 876571
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 TD 229424
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 EN 704913
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 EN 704914
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 EN 704915
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 EN 704916
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 EN 704917
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 EF 452262
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733301
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733302
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733303
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733304

13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733305
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733306
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733307
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733308
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733309
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733310
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733311
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 KD 733312

तत्पश्चात आरोपी श्री राहुल मीणा द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि 10000 रूपयें को एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरों लिये गये। आरोपी श्री राहुल से परिवादी के लंबित कार्य पट्टा बनानें के संबंध में पुछा तो उसने बताया कि श्री श्यामलाल कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत पर आया तथा उसके द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टे हेतु आवेदन किया था जिसका पट्टा मेरे द्वारा तैयार किया गया है जो मेरे पास है। जिस पर आरोपी को उक्त पट्टा प्रस्ततु करनें हेतु कहा तो आरोपी द्वारा उसके बेग में पट्टे की प्रति निकालकर प्रस्तुत की। जिसका अवलोकन किया तो परिवादी के नाम पर उक्त पट्टा संख्या 72 जारी होकर उस पर नियत स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी की मोहर लगी होकर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर होना पाये गये। ग्राम विकास अधिकारी से पुछने पर बताया कि इस पर अंकित हस्ताक्षर मेरे ही है। उक्त पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होना पाये जाने पर आरोपी श्री राहुल से पुछने पर बताया कि संरपच साहब के हस्ताक्षर बाद पट्टा रजिस्टर करवायें जाने के समय किये जाते है। जिस पर आरोपी श्री राहुल से उक्त पट्टा बुक के बारें में पुछने पर बताया कि मेरे बेग में ही पट्टा बुक पडी है जिसे श्री राहुल ने प्रस्तुत किया। उक्त पट्टा बुक का अवलोकन किया जाने पर कम संख्या 1 से 72 तक पट्टा आवंटन संबंधी अंकन होकर पट्टा संख्या 72 की दोनों प्रतियों पर श्री श्यामलाल से संबंधित अंकन होकर उस पर ग्राम विकास अधिकारी की मोहर लगी होकर उस पर हस्ताक्षर है तथा सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। आरोपी राहुल को पुछने पर बताया कि उक्त पट्टे की तीन प्रतियों में से एक प्रति आवेदक को, दुसरी प्रति पंचायत समिति को तथा तीसरी प्रति ग्राम पंचायत के रिकार्ड में रहती है। आवेदक को पट्टा आवंटन के पश्चात उसकी रजिस्ट्री तहसील कार्यालय में सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा करवाई जाने के पश्चात पट्टे की कार्यवाही पूर्ण होती है। उक्त प्रकिया के बाद पट्टा आवंटन की सूचना पंचायत समिति को प्रेषित की जाती है। तत्पश्चात आरोपी से पट्टा आवंटन संबंधी ग्राम पंचायत पर की जानें वाली प्रकिया के बारें में पुछा तो बताया कि बापी पट्टा की प्रकिया राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत दिया जाता है। जिसमें आवेदन प्राप्त होने के पश्चात मौका देखा जाकर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिया जाता है तत्पश्चात उजरदारी की रिपोर्ट प्राप्त कर किसी को आपत्ति नहीं होने पर पट्टा आवंटन किया जाता है। आरोपी का उक्त क्वाटर किसके नाम होना पुछने पर बताया कि यह क्वाटर मेरे दोस्त श्री छगनलाल मेघवाल के नाम पर है जो ग्राम पंचायत दामाखेडा पर कनिष्ठ सहायक है। उसका परिवार यहां नहीं होने से एक चाबी मुझे दी गई थी। जब भी मैं पंचायत समिति पर आता हुँ तो इस क्वाटर में आराम करनें और काम करने के लिए रूकता हुँ। आज भी मैं काम करनें के लिए रूका था। जिस पर क्वाटर आंवटन से संबंधित आदेश की सत्यापित प्रति पंचायत समिति से मंगवाई गई। जिसका अवलोकन किया गया तो कार्यालय पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ के आदेश कमांक पंसक/स्टोर/ 2017-18/ 2725 दिनांक 09.02.18 द्वारा उक्त क्वाटर श्री छगनलाल मेघवाल के नाम पर होना पाया गया। आरोपी के बेग से बरामद पट्टा बुक के कवर जिल्द पर पट्टा संख्या 1 से 100 तक हो जिसमें अंतिम पट्टा संख्या 72 पर अंकन होकर शेष रिक्त है। कवर जिल्द, प्रथम पृष्ठ एवं अंतिम अंकित पृष्ठ पर परिवादी, गवाहों एवं आरोपी के हस्ताक्षर कराये तथा परिवादी को आवंटित पट्टे पर भी परिवादी, गवाहों तथा आरोपी के हस्ताक्षर करा पट्टा बुक एवं पट्टा कब्जे ब्यूरों लिया जाकर जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् समय करीब 04:20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाह, मय आरोपी, परिवादी, ब्यूरों टीम तथा जब्तशुदा सीलबंद मालखाना आईटम के प्राईवेट वाहन से ग्राम पंचायत उमण्ड पंचायत समिति कपासन के लिए रवाना होकर ग्राम पंचायत उमण्ड पहूँच परिवादी श्री श्यामलाल द्वारा ग्राम पंचायत उमण्ड पर पट्टे हेतु आवेदित पत्रावली मूल तथा बैठक कार्यवाहियों का रजिस्टर मूल प्राप्त कर वहां से रवाना हो अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु समय करीब 06:00 पी.एम. पर पुलिस थाना कपासन पर पहुंच ड्यूटी अधिकारी श्री थावरचंद हैड कानि0 को स्वयं का परिचय देकर उनसे लिखा-पढी एवं सुरक्षार्थ एक कक्ष उपलब्ध करानें हेतु कहा तो डीओ द्वारा एक कक्ष उपलब्ध कराया गया जहां अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। परिवादी से संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया तो कवर पेज पर श्री श्यामलाल/ बालुराम खटीक एवं मोबाईल नंबर 9829103352 अंकित होकर पृष्ठ संख्या 1 से 10 तक संधारित है। जिसमें परिवादी का आवेदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, किस्म भूमि प्रमाण पत्र, शपथ पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टांप, सहमति के लिए शपथ पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाप तथा परिवादी तथा गवाह के आधार कार्ड संलग्न है। इसी प्रकार बैठक कार्यवाही का अवलोकन किया गया तो उक्त पर रजिस्टर वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 अंकित है। प्रथम कार्यवाही की बैठक दिनांक 24.09.2020 तथा अंतिम अंकित बैठक 21.02.2023 की है। जिसमें श्री श्यामलाल के आवेदन संबंधी कोरम का कही अंकन नहीं है। पत्रावली के कवर, प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर गवाहों, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये तथा बैठक रजिस्टर में प्रथम बैठक दिनांक 24.09.2020 के पृष्ठ तथा अंतिम बैठक कार्यवाही के पृष्ठ दिनांक 21.02.2023 पर गवाहों, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये। पत्रावली पृथक से फर्द मुर्तिब कर जब्त की गई। इसके बाद कानि दिनेश कुमार को जरिये पुलिस थाना कपासन पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने पर कानि दिनेश कुमार कुछ समय बाद थाने पर उपस्थित आया। समय 06:35 पी.एम. मन् पुलिस निरीक्षक, गवाहों एवं परिवादी के साथ घटनास्थल को मौका नक्शा मुर्तिब करनें रवाना हुआ तथा आरोपी ब्यूरों टीम की सुरक्षा में थाने पर रखा गया। समय 07:00 पी. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक, गवाहों एवं परिवादी के साथ घटनास्थल का मौका नक्शा मुर्तिब करनें गया हुआ बाद नक्शा मौका मुर्तिबगी के पुनः पुलिस थाने पर उपस्थित हुआ। नक्शा मौका शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 07:10 पी.एम. पर दिनांक 01.03.2023 को परिवादी श्री श्यामलाल एवं आरोपी श्री राहुल मीणा के मध्य रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व आपस में हुई मोबाईल वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेनदेन रूबरू हुई रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर आरोपी श्री राहुल मीणा, परिवादी श्री श्यामलाल को स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष उक्त वार्ता सुनाई गई तो दोनों ने अपनी-अपनी आवाज की ताईद की जिस पर वॉइस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि0 श्री दिनेश कुमार से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता मर्तिब की गई। फर्द पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता को लेपटोप की सहायता से कानि0 श्री दिनेश कुमार से एक मूल, एक मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति सीडीयां डब करवाई जाकर मार्क बी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मूल सीडी को एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर थैली के उपर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मुल्जिम प्रति एवं आईओ प्रति डब सीडी को अनसील्ड रखा गया। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल, रूबरू हुई वार्ता तथा वक्त रिश्वत लेन-देन मोबाईल एवं रूबरू हुई वार्ता की रिकार्डिंग हेतु प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SanDisk Ultra32 GB बरंग लाल एवं ग्रे को वजह सबूत कपडे की थैली सीलबंद कर मार्क सी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08:00 पी.एम. पर श्री छगनलाल मेघवाल पुत्र श्री दुलीचन्द मेघवाल उम्र 36 वर्ष निवासी नुरडा तहसील मावली जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दामाखेडा जिला चित्तौडगढ उपस्थित हुए। श्री छगनलाल से पुछनें पर स्वतंत्र गवाह के समक्ष बताया कि क्वाटर संख्या 04 मुझे आवंटित हुआ है। श्री राहुल मीणा मेरा दोस्त है। पंचायत समिति पर राजकार्य से आते रहने के कारण मेरे क्वाटर पर बैठकर कार्य करने तथा आराम करनें हेतु राहुल मीणा ने मुझसे एक चाबी ले रखी थी। क्वाटर के अन्दर समस्त उपयोग करनें का सामान मेरा निजी है। मैं श्री श्यामलाल को

[redacted]

नहीं जानता हूँ। श्री श्यामलाल एवं श्री राहुल के मध्य हुए लेनदेन से मेरा कोई संबंध नहीं है और न ही मुझे कोई जानकारी है।

तत्पश्चात् समय करीब 10:45 पी.एम. पर आरोपी श्री राहुल मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उमण्ड पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री श्रवण कुमार को रूबरू दी गई। वक्त गिरफ्तारी आरोपी श्री राहुल की तलाशी स्वंतत्र गवाह श्री रामलाल से लिवाई गई जामा तलाशी में एक पर्स और एक मोबाईल मिला जिसकी सेटिंग्स में जाकर अवलोकन किया गया तो उक्त मोबाईल सेमसंग कंपनी का मॉडल फ्लिप–4 बरंग गोल्डन जिसमें प्रथम आईएमईआई नंबर 352849390067621/01 तथा दुसरा आईएमईआई नंबर 353019470067623/01 होकर दो सिम कार्ड स्लॉट होकर एक सिम मोबाईल नंबर 9664302134 जिओं कंपनी का प्रयुक्त है। उक्त मोबाईल से आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई वार्ता के कारण अहम साक्ष्य होने से मोबाईल को जब्त किया जाकर पृथक से फर्द जब्ती मुर्तिब की गई। समय करीब 01:30 एएम पर परिवादी श्री श्यामलाल को बाद हिदायत रूकसत दी तथा मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री रामलाल, श्री योगेश, श्री भारतसिंह मय प्रिन्टर लेपटॉप तथा प्रदीप कुमार कानि0 मय ट्रेप बॉक्स एवं जब्तशुदा सीलबंद मालखाना आर्टिकल्स, श्री नन्दकिशोर एलसी, श्री दिनेश कुमार आवश्यक संसाधन के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राहुल मीणा के पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ़ से भ्र0नि0 ब्यूरों उदयपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 3.05 एएम पर पुलिस थाना हाथीपोल, उदयपुर पहुंच जरिये तहरीर आरोपी राहुल मीणा को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना हाथीपोल में जमा करा रसीद प्राप्त की। तत्पश्चात् रवाना हो मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, ब्यूरों टीम मय सीलबंद जब्तशुदा आर्टीकल, ब्यूरों टीम सदस्य पुलिस थाना हाथीपोल से रवाना हो हमराहियान के भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर पहूँचे। मालखाना आर्टिकल्स प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित रखनें तथा रजिस्टर में ईन्दाज करनें की हिदायत दी गई। स्वतंत्र गवाह को रूकसत दी गई।

दिनांक 02.03.2023 को आरोपी श्री राहुल मीणा को पुलिस थाना हाथीपोल उदयपुर से प्राप्त कर मेडीकल करा लाने हेतु श्री राजेश कुमार कानि एवं श्री भारतसिंह कानि. को मय मेडीकल तहरीर के रवाना किया आरोपी श्री राहुल मीणा को पुलिस थाना हाथीपोल से प्राप्त कर उनका महाराणा भुपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर से स्वास्थ्य परीक्षण करा पुनः कार्यालय पर उपस्थित हुए। बाद माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात/ संबंधित न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर आरोपी श्री राहुल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश होने से वारन्ट प्राप्त कर नियमानुसार केन्द्रिय करागार उदयपुर पर सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की गई।

दर्ज रहे कि दिनांक 01.03.2023 को श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर परिवादी श्री श्यामलाल के मोबाईल नंबर प्रदान करते हुए परिवादी श्री श्यामलाल से संपर्क कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री श्यामलाल के मोबाईल नंबर पर कॉल किया तो परिवादी श्री श्यामलाल ने बताया कि मैं ग्रम उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ का रहने वाला हूँ मेरे बापी पट्टा बनानें के बदले मुझसें ग्राम विकास अधिकारी श्री राहुल मीणा 10000 रूपयें की मांग कर रहे है तथा रिश्वत राशि आज ही लाने का कह रहे है अन्यथा वो अपना चार्ज दुसरें को सौंप कर चले जायेंगे। इसलिए मैं उदयपुर आने में असमर्थ हुँ। जिस पर परिवादी को मामलें में गोपनीयता बरतनें हेतु हिदायत दी गई तथा श्री भारतसिंह कानि. का मोबाईल नंबर परिवादी को देते हुए बताया कि श्री भारतसिंह कपासन आकर उससे संपर्क करेंगा। तत्पश्चात श्री भारतसिंह को कॉल कर परिवादी श्री श्यामलाल के मोबाईल नंबर दिये तथा तुरंत कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय की आलमारी से सोनी कंपनी का डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर कपासन जिला चित्तौडगढ पहुचॅ परिवादी से संपर्क कर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मांग सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर श्री भारत सिंह कानि. द्वारा कपासन पहुंच परिवादी श्री

श्यामलाल से सम्पर्क कर परिवादी से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जिसमें परिवादी ने अंकित किया कि मैं श्यामलाल पुत्र श्री बालुराम जी उम्र 29 वर्ष ग्राम उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ का रहने वाला हुँ। मैनें ग्राम पंचायत उमण्ड में बापी पट्टा लेने के लिए आवेदन किया तो ग्राम विकास अधिकारी श्री राहुल मीणा द्वारा पट्टा जारी करनें के बदले मुझसे 10000 रूपयें की रिश्वत राशि की मांग की है। मैं श्री राहुल मीणा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मैं उन्हें रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। मेरी राहुल जी से उधार रूपयों का कोई लेनदेन बाकी नहीं है और न ही कोई दुश्मनी है। अतः कार्यवाही कराये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार मांग सत्यापन करवाया गया तो दिनांक 01.03.2023 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री राहुल मीणा द्वारा परिवादी से 10,000 रूपयें रिश्वत ग्रहण मांग करने की स्वीकारोक्ति करना सत्यापित पाया गया। जिस पर दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री राहुल मीणा द्वारा परिवादी श्री श्यामलाल से 10,000 रूपयें रिश्वत राशी अपने दोनो हाथो से ग्रहण कर क्वार्टर के बेड रूम में लगे बिस्तर के नीचे रखी जहां से रिश्वत राशि को बरामद किया गया। जिस पर आरोपी दलाल श्री राहुल मीणा के प्रक्रियानुसार दोनों हाथों का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी/ मटमेला झाईदार हुआ तथा बेडरूम में रखे बिस्तर जिसके निचे से रिश्वत राशि को बरामद किया का धोवन लिया गया तो उसका रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया। जिस पर आरोपी श्री राहुल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से परिवादी से संबधित पट्टा बुक एवं पट्टा बरामद किया गया। ग्राम पंचायत उमण्ड से परिवादी की पट्टा आवंटन से पत्रावली एवं बैठक रजिस्टर को जरिये फर्द जब्त किया गया। जिससे यह पाया गया कि आरोपी के पास परिवादी के पट्टा आवंटन से संबधित कार्य लम्बित है।

इस प्रकार आरोपी श्री राहुल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चाकुडा अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत उमण्ड पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ़ द्वारा परिवादी श्री श्यामलाल खटीक के पुश्तेनी बापी पट्टा बनाने की एवज में परिवादी से दिनांक 01.03. 2023 को 10,000 रूपये रिश्वत की मांग कर दिनांक 01.03.2023 को ही अपनी मांग के अनुसार रिश्वत राशि 10,000 रूपये अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण कर क्वार्टर के बेडरूम में रखे बिस्तर के निचे रखना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, संशोधित पीसी एक्ट 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्री राहुल मीणा पुत्र श्री श्रवण कुमार उम्र 36 निवासी मकान नंबर 224, विजन कॉलेज के पीछे, सेंती जिला चित्तौडगढ़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चाकुडा अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत उमण्ड पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(आदर्श कुमार)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आदर्श कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राहुल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चाकुडा, अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत उमण्ड, पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 54/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2/3/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:- 424-27 दिनांक 2.3.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर।

2/3/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।